जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, केवरामुण्डा वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)
Website: www.dccbjagdalpur.com फोन : 07782—228152
Email : dccbhoestjagdalpur@gmail.com फैक्स : 07782—228156

क्रमांक / स्थापना / भर्ती / 2457 / 2015—2016 **जगदलपुर, दिनांक 03 / 11 / 2015**

शाखा प्रबंधक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के कार्यक्षेत्र बस्तर संभाग स्थित शाखाओं हेतु **शाखा प्रबंधक** के **रिक्त 09 पदों पर छत्तीसगढ़ राज्य के मूलनिवासी से** एवं **कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक** के **रिक्त 47 पदों पर** छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1—1 / 2012 / 1—3, दिनांक 10.03.2015 के अनुसार **बस्तर संभाग के अन्तर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोण्डागाँव, एवं सुकमा जिलों के स्थानीय निवासियों से ही** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

अतः वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी बैंक की वेबसाईट **www.dccbjagdalpur.com** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से **"ऑन लाईन"** आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । **कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक** के पद हेतु बस्तर संभाग के बाहर के आवेदकों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

भर्ती प्रक्रिया विवरण	**संभावित तिथियाँ**
ऑनलाईन पंजीयन करने की प्रक्रिया	03 / 11 / 2015 से 16 / 11 / 2015
परीक्षा शुल्क	₹ 600.00 (छैः सौ रूपये मात्र)
बुलावा पत्र डाउनलोड करनें की तिथि	दिसम्बर 2015
ऑन लाईन परीक्षा	दिसम्बर 2015

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया विवरण एवं अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से बैंक की अधिकृत वेबसाईट www.dccbjagdalpur.com का अवलोकन करते रहें ।

(अ) भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :—

(01) आरक्षण :— माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णयानुसार इस बैंक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षण लागू नहीं होता ।

(02) रिक्त पदों का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता :—

क्रं.	**रिक्त पद का नाम**	**रिक्त पदों की संख्या**	**शैक्षणिक योग्यता (दिनांक 31 / 10 / 2015 पर)**
01	**शाखा प्रबंधक**	**09**	**किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर में डिप्लोमा डी.सी.ए. अथवा पी.जी.डी.सी.ए. अनिवार्य ।**

02	**कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक**	**47**	**किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर में डिप्लोमा डी.सी.ए. अथवा पी.जी.डी.सी.ए. अनिवार्य ।**

टीप :–

(1) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर मुख्य विषय के रूप में चयन किया है, उनके लिए डी.सी.ए. अथवा पी.जी.डी.सी.ए. डिप्लोमा अनिवार्य नहीं है ।

(2) शाखा प्रबंधक पद हेतु सहकारिता में डिप्लोमा/वाणिज्य (एम.कॉम)/व्यवसाय प्रबंधन (एम.बी.ए.)/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधिकर्त्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(3) बस्तर संभाग अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं में कार्यरत् सहायक समिति प्रबंधक/लिपिक/लिपिकीय सहायक/लेखापाल जिनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का गबन/आर्थिक अनियमितता के प्रकरण लंबित न हो, जो उपर्युक्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं, को अनुभव के आधार पर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अंतर्गत लिखित परीक्षा पास करने पर प्राथमिकता दी जायेगी ।

(4) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर में कार्यरत कंटीजेन्ट/अस्थायी कर्मचारियों को जो वांछित अर्हताएं पूर्ण करते हैं, को लिखित परीक्षा पास करने पर प्राथमिकता दी जायेगी ।

(03) वेतनमान :–

क्रं.	पद का नाम	वेतनमान
01	**शाखा प्रबंधक**	चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम एक वर्ष परिवीक्षावधि में रखा जावेगा जिसमें मासिक एक मुश्त राशि ₹ 30000/–(तीस हजार रूपये) भुगतान किया जावेगा, 1 वर्ष पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा सकेगी अन्यथा परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है । परिवीक्षावधि समाप्त होने के पश्चात नियमित वेतनमान वर्ग–2 "अ" 20400-620-(3)-22260-680-(6)-26340-790(7)-31870-960-(2)-33790 पर नियमित किया जावेगा ।
02	**कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक**	चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम एक वर्ष परिवीक्षावधि में रखा जावेगा जिसमें मासिक एक मुश्त राशि ₹ 20000/–(बीस हजार रूपये) भुगतान किया जावेगा, 1 वर्ष पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा सकेगी अन्यथा परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है । परिवीक्षावधि समाप्त होने के पश्चात नियमित वेतनमान वर्ग–4 11250-340-(2)-11930-360(3)-13010-400-(5)-15010-470(6)-17830-550(5)-20580 पर नियमित किया जावेगा ।

(ब) आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तें :–

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(2) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा तथा आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नि नहीं होना चाहिए ।

(3) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(4) दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गयी हो, परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गयी हो अर्थात **(जिनका जन्म 02/01/1980 से पूर्व तथा 01/01/1997 के पश्चात न हुआ हो)** अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट प्राप्त हैं वे छूटें लागू रहेंगी, परंतु किसी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयुसीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी (छ0ग0 सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ–3–2/2002/1–3 दिनांक 16.09.2008)।

<u>उच्चतम आयु सीमा में छूट</u>

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

(4) एक (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(4) एक (2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–7–26–93/1/आ.प./दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत् आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(4) एक (3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कन्टिनजेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत् कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(4) एक (4) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण : छंटनी किये गये शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।

(4) एक (5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतीक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(4) एक (6) महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी।

(4) एक (7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/02/1/3 दिनांक 02.06.04 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(4) एक (8) स्वयं सेवा नगर सैनिकों (वालेन्टरी होम गार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामलें में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) एक (9) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

(4) दो (1) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत् पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(4) दो (2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(4) दो (3) शहीद राजीव पांडे, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19/2/2005/1–3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप :–(1) बिन्दु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत् प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत् दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयुसीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।

(3) उपरोक्त (1) ओर (2) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

(अ) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत् आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) उपरोक्त कंडिका 4 एक (1), 4 एक (2), 4 एक (3), 4 एक (4), 4 एक (5), 4 एक (7), 4 एक (8) के अंतर्गत् उत्तम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(स) कंडिका – 4 (एक) (9) के अंतर्गत् उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों के द्वारा सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

(द) कंडिका – 4 दो (1) के अंतर्गत् आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

(य) कंडिका – 4 दो (2) के अंतर्गत् आयु सीमा में छूट के लिए ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

महत्वपूर्ण :–

01. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करे ।

02. परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।

03. सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी ।

(5) आवेदक को शाखा प्रबंधक पद हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक पद हेतु बस्तर संभाग का मूल निवासी होना अनिवार्य है । (प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)।

(6) कोई भी व्यक्ति जो बैंक संचालक मंडल के सदस्य का निकट संबंधी हो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(7) उक्त दोनों पदों के लिए ऑन लाईन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

(8) चयनित कर्मचारियों की पदस्थी बैंक के कार्यक्षेत्र की शाखाओं में की जावेगी ।

(9) विज्ञापित पदों पर नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा सकेगी, अन्यथा परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा भी समाप्त की जा सकती है ।

(10) प्रत्येक पद हेतु आवेदन पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगा।

(11) ऑन लाईन आवेदन में दी गई जानकारी की समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(12) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) भर्ती प्रक्रिया संशोधित करने/विलोपित करने एवं उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियोक्ताकर्त्ता के पास सुरक्षित रहेंगें ।

(स) आवेदन कैसे करें :–

उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 03/11/2015 से 16/11/2015 तक ही स्वीकार किया जावेगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

(I) पंजीयन/रजिस्ट्रेशन से संबंधित महत्पूर्ण दिशा निर्देश :–

1 फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि स्केन किया गया फोटो एवं हस्ताक्षर दोनों अपेक्षित मापदण्ड को पूर्ण करता हो ।

2 उम्मीदवार का एक वैद्य ई–मेल आई॰डी॰ एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है ताकि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा के लिए बुलावा पत्र आदि हेतु पंजीकृत ई–मेल आई॰डी॰ एवं मोबाईल नम्बर पर संपर्क किया जा सके । यदि किसी उम्मीदवार का व्यक्तिगत ई–मेल आई॰डी॰ एवं मोबाईल नम्बर नहीं है तो वे ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व एक नई ई–मेल आई॰डी॰ व मोबाईल नम्बर ले लेवें ।

3 ऑनलाईन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ₹ 600.00 (छैः सौ रूपये मात्र) निर्धारित है, आवेदन/पंजीयन हेतु शुल्क का भुगतान दिनांक 03/11/2015 से 16/11/2015 तक किया जा सकेगा । उक्त राशि वापसी योग्य नहीं है । आवेदन/पंजीयन शुल्क का ऑन लाईन भुगतान करने हेतु बैंक ट्रांजेक्शन शुल्क आवेदक को स्वयं वहन करना होगा ।

(II) आवेदन की प्रक्रिया :–

(1) उम्मीदवार सर्वप्रथम बैंक की वेबसाईट **www.dccbjagdalpur.com** के होम पेज **RECRUITMENT** बटन पर उपलब्ध लिंक APPLY ONLINE APPLICATION FOR BRANCH MANAGER OR CLERK CUM COMPUTER OPERATOR के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं ।

(2) ऑन लाईन आवेदन करने हेतु **"Click here for New Registration"** पर क्लिक करें तत्पश्चात स्वयं का नाम, संपर्क विवरण, ई–मेल आई॰डी॰ एवं वांछित जानकारी प्रविष्ट करने पर सिस्टम द्वारा अस्थायी पंजीयन नम्बर (Provisional Registration Number) एवं पासवर्ड जनरेट किया जाकर स्क्रिन पर प्रदर्शित होगा । आवेदक/उम्मीदवार उक्त अस्थायी पंजीयन नम्बर (Provisional Registration Number) एवं पासवर्ड को नोट करें । अस्थायी पंजीयन नम्बर (Provisional Registration Number) एवं पासवर्ड की सूचना पंजीकृत ई–मेल आई॰डी॰ एवं एस॰एम॰एस॰ के माध्यम से भी भेजा जावेगा ।

(3) यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन पूर्ण नहीं कर पाता है तो **"SAVE AND NEXT"** टैब पर क्लिक कर जानकारी सुरक्षित कर सकता है, बाद में पुनः वांछित जानकारी **"SAVE AND NEXT"** टैब पर जाकर अन्य जानकारी संशोधित कर प्रविष्टि पूर्ण कर सकता है ।

(4) आवेदकों/उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन को सावधानीपूर्वक भरें तथा भरे गये विवरण की जाँच कर लेवें । अंत में **"FINAL SUBMIT BUTTON"** पर क्लिक करें । **"FINAL SUBMIT BUTTON"** पर क्लिक करनें के पश्चात किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

(5) आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम अंकसूची तथा पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर भरा जावे । अंकसूची तथा पहचान प्रमाण पत्र से मिलान न होने पर अयोग्य करार दिया जावेगा ।
(6) आवेदन को मान्य करने के लिए **"VALIDATE YOUR DETAILS"** एवं **"SAVE AND NEXT BUTTON"** पर क्लिक करें ।
(7) फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के लिए आवेदन में दिये गये निर्देशों का पालन करें ।
(8) आवेदक/उम्मीदवार अन्य वांछित विवरण प्रविष्ट करें ।
(9) **"PREVIEW BUTTON"** पर क्लिक कर **"FINAL SUBMIT"** से पूर्व संपूर्ण आवेदन का अवलोकन व जाँच किया जा सकता है ।
(10) यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रविष्ट किया गया विवरण सहीं है तत्पश्चात **"FINAL SUBMIT"** पर क्लिक कर देवें ।
(11) **"PAYMENT TAB"** पर क्लिक कर भुगतान प्रक्रिया पूर्ण करें ।
(12) अंत में **"SUBMIT BUTTON"** पर क्लिक करें ।

(III) आवेदन शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया :–

(1) आवेदन शुल्क भुगतान करना आवश्यक है। बगैर शुल्क भुगतान किये आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा । शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कृपया निम्न निर्देशों का पालन करें ।
(2) भुगतान डेबिट कार्ड (RuPay / Visa / Master Card / Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आई॰एम॰पी॰एस॰, कैश कार्ड/मोबाईल वैलेट का उपयोग कर किया जा सकता है ।
(3) ऑन लाईन आवेदन का **भुगतान करनें के पश्चात कृपया प्रतीक्षा करें, जब तक सर्वर द्वारा भुगतान की पुष्टि नहीं कर दी जाती ।** भुगतान में दोहराव या किसी अवरोध से बचने के लिए न तो बैक बटन का उपयोग करें और न ही रिफ्रेश करें ।
(4) भुगतान के सफल समापन पर ई–रसीद 'E-Receipt' प्राप्त होगी ।
(5) ई–रसीद 'E-Receipt' प्राप्त नहीं होना भुगतान की असफलता को दर्शाता है, ऐसा होने पर आवेदक/उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अस्थायी पंजीयन नम्बर (Provisional Registration Number) एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर पुनः शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को दोहरावें ।
(6) आवेदक/उम्मीदवार ई–रसीद 'E-Receipt' एवं आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट ले लेवें । ई–रसीद 'E-Receipt' एवं आवेदन का प्रिंट आऊट प्राप्त नहीं होना ऑन लाईन प्रक्रिया की अपूर्णता की ओर इंगित करता है ।
(7) डाटा की सुरक्षा के लिए कृपया भुगतान प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात ब्राउजर विंडो बंद कर देवें ।
(8) शुल्क भुगतान के पश्चात शुल्क विवरण युक्त आवेदन प्रपत्र मुद्रित करने की सुविधा उपलब्ध होगी ।

(IV) फोटोग्राफ (4.5cm × 3.5cm) एवं हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

आवेदक/उम्मीदवार स्वयं का डिजीटल फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन करने लिए निम्न लिखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चत करें :–

(अ) फोटोग्राफ इमेज

- ❖ पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए ।
- ❖ उक्त फोटोग्राफ का बैकग्राउण्ड सफेद एवं हल्के रंग का होना चाहिए ।
- ❖ फोटो में आपका चेहरा सामने की ओर सीधे दर्शित हो ।
- ❖ फोटोग्राफ सूर्य के सामने नहीं लिया गया हो या फोटोग्राफ पर किसी प्रकार प्रतिबिंब/छाया नहीं पड़ना चाहिए ।
- ❖ कैमरे का फ्लैश उपयोग करते समय रेड आई का विकल्प बंद हो ।
- ❖ यदि आप चश्मा पहनते हों तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी आंखे स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हो तथा चश्में पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबिंब न हो ।
- ❖ फोटो का **Dimensions 200 x 230 pixels (preferred)** होना चाहिए ।
- ❖ फोटो का साईज **20kb–50 kb** के बीच होना चाहिए ।
- ❖ यह सुनिश्चित करें की स्केन फोटोग्राफ का साईज **50 Kb** से अधिक नहीं है, यदि साईज **50 Kb** से अधिक है तो स्केनिंग के दौरान **DPI Resolution** एवं **No. of Colours** आदि की सेटिंग द्वारा समायोजन (**Adjust**) किया जा सकता है ।

(ब) हस्ताक्षर इमेज

- ❖ आवेदक को सफेद पेपर पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करना होगा ।
- ❖ केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किया जावे, अन्य के द्वारा नहीं ।
- ❖ हस्ताक्षर का उपयोग बुलावा पत्र एवं जहाँ आवश्यक हो, के लिए किया जायेगा ।
- ❖ यदि आवेदक के हस्ताक्षर बुलावा पत्र एवं उपस्थिति पत्रक के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते तो आवेदक को परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।
- ❖ हस्ताक्षर का **Dimensions 140x 60 pixels (preferred)** होना चाहिए ।
- ❖ हस्ताक्षर फाईल का साईज **10kb–20 kb** के बीच होना चाहिए ।
- ❖ यह सुनिश्चित करें की स्केन हस्ताक्षर इमेज का साईज **20 Kb** से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- ❖ हस्ताक्षर अंग्रेजी के CAPITAL LETTERS में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

(स) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर इमेज का समायोजन (ADJUSTMENT)

- ❖ स्केनर का **Resolution** न्यूनतम **200 dpi (dots per inch)** पर सेट करें ।
- ❖ कलर विकल्प को TRUE COLOUR में सेट करें ।
- ❖ फोटोग्राफ का साईज **50 Kb** एवं हस्ताक्षर इमेज का साईज **20 Kb** तक हो ।
- ❖ फोटो एवं हस्ताक्षर के साईज **CROP** कर उपरोक्तानुसार साईज में सेट किया जा सकता है ।

- इमेज .**JPG** या .**JPEG** फार्मेट में होना चाहिए । उदाहरण के लिए **IMAGE01.JPG** या **IMAGE01.JPEG** इमेज का **SIZE** एवं **DIMENSIONS** चेक करनें के लिए **IMAGE ICON** की **PROPERTIES** में जाकर उसके **DETAILS** टैब का उपयोग करें ।
- आवेदक/उम्मीदवार **MICROSOFT WINDOWS / MICROSOFT OFFICE** का उपयोग कर **MS PAINT Or MS OFFICE PICTURE MANAGER** की सहायता से आसानी से फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर को क्रमशः **50Kb** एवं **20 Kb** के अंदर **JPG** या **JPEG** फार्मेट में **SAVE** कर सकते हैं । किसी अन्य प्रारूप से वांछित प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए **फोटोग्राफ (50Kb), (Dimensions 200 x 230 pixels) एवं हस्ताक्षर (20Kb), (Dimensions 140x 60 pixels)** को **Resize Option** से **Crop** करते हुए **Save As Option** से .**JPG** या .**JPEG** फार्मेट में **SAVE** करें । इसी तरह का विकल्प अन्य **PHOTO EDITOR** में भी उपलब्ध है, जिसकी सहायता से वांछित प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है ।
- यदि फाईल का आकार (**SIZE**) एवं स्वरूप विनिर्दिष्ट प्रारूप में नहीं है तो एक त्रुटि संदेश (**Error Message**) प्रदर्शित होगा ।
- ऑन लाईन आवेदन भरते समय फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध होगा ।

(द) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए प्रक्रिया

- फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग–अलग लिंक होगा ।
- संबंधित लिंक पर क्लिक कर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें ।
- ब्राउज कर सुरक्षित किये गये स्थान से स्केन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर सेलेक्ट करें ।
- तत्पश्चात **"OPEN/UPLOAD BUTTON"** पर क्लिक करें ।

आपका ऑन लाईन आवेदन विनिर्दिष्ट प्रारूप के फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर के अभाव में पंजीकृत नहीं किया जाएगा ।

टीप :–

1. यदि आवेदक/उम्मीदवार का फोटोग्राफ में चेहरा एवं हस्ताक्षर अस्पष्ट होगा तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा । आवेदक/उम्मीदवार ऑन लाईन आवेदन में फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर आपलोड करने के पश्चात जाँच लें कि इमेज सुस्पष्ट एवं सहीं तरीके से अपलोड की गई है, यदि फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर विशिष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो **Submit** करने से पहले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर **Edit** कर **Re-Upload** कर सकते हैं ।
2. आवेदक/उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन पंजीयन होने के पश्चात कृपया सिस्टम जनरेटेड ऑन लाईन आवेदन फार्म की प्रिंट आऊट ले लेवें ।

(V) काल लेटर डाउनलोड करना :–

आवेदक/उम्मीदवार बैंक की वेबसाईट **www.dccbjagdalpur.com** पर जाकर काल लेटर डानलोड कर सकते हैं, काल लेटर डाउनलोड करने की सूचना ई–मेल एवं एस॰एम॰एस॰ के माध्यम से भेजा जाएगा । उम्मीदवार बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक द्वारा काल लेटर डाउनलोड करें । काल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार

का (1) पंजीयन नम्बर (Registration Number)/रोल नम्बर (2) पासवर्ड/जन्म तिथि आवश्यक है । आवेदक/उम्मीदवार ऑन लाईन आवेदन में अपलोड किया गया फोटोग्राफ ही काल लेटर में चिपका कर निर्धारित परीक्षा केन्द्र में मय मूल पहचान पत्र की छायाप्रति सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

काल लेटर में दर्शित परीक्षा समय, एवं रिपोर्टिंग समय का विशेष ध्यान देवें, रिपोर्टिंग समय के पश्चात उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

परीक्षा अवधि **शाखा प्रबंधक पद हेतु 02 घण्टे एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक पद हेतु 1 घण्टे** की होगी । उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र में अधिकतम 4 घण्टे के लिए उपस्थित होना होगा, जिसमें विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का संकलन, परीक्षण, सत्यापन आदि औपचारिकताएं पूर्ण की जावेगी ।

(VI) पहचान का सत्यापन :–

आवेदक/उम्मीदवार परीक्षा हाल में अथवा साक्षात्कार में पहचान प्रमाण के लिए पेन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेंस/वोटर कार्ड/बैंक पासबुक फोटोग्राफ सहित/राजपत्रित अधिकारी द्वारा लेटर पेड पर सत्यापित फोटोग्राफ/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कर्मचारी पहचान पत्र/विधिक परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र/आधार कार्ड/आदि **मूल एवं स्व प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें** । **यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त पहचान प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र से अक्षरशः मेल खाते हो ।**

महिला उम्मीदवार जिनका नाम अथवा उपनाम विवाह के उपरान्त परिवर्तित हो गया है, ऐसे उम्मीदवारों को मूल शादी का प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करनें पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी ।

नोट : ई–आधार कार्ड एवं राशन कार्ड पहचान सत्यापन के लिए मान्य नहीं किया जाएगा ।

(VII) परीक्षा केन्द्र :–

1 परीक्षा हेतु संभावित केन्द्र **रायपुर, भिलाई एवं जगदलपुर** होगा ।
2 परीक्षा काल लेटर में उल्लेखित स्थान पर ऑन लाईन आयोजित किया जाएगा ।
3 परीक्षा केन्द्र/स्थान/दिनांक/समय में परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
4 बैंक के पास परीक्षा केन्द्र/तिथि/समय रद्द करने/बदलाव करने अथवा नया केन्द्र जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
5 बैंक किसी आवेदक/उम्मीदवार को पूर्व आबंटित केन्द्र में तकनीकी त्रुटियों के कारण निकटतम केन्द्र में परिवर्तित कर सकता है ।
6 आवेदक/उम्मीदवार स्वयं के खर्च तथा जोखिम पर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे, किसी भी प्रकार की चोट या नुकसान अथवा दुर्घटना के लिए बैंक की जवाबदारी नहीं होगी ।
7 आवेदक/उम्मीदवार द्वारा विकल्प में चुना गया केन्द्र क्षमता व उपलब्धता के आधार पर आबंटित किया जायेगा ।

(VIII) अन्य महत्पूर्ण बिन्दु :–

1 प्रशासनिक अव्यवस्था होने/कानून व्यवस्था संबंधी स्थिति निर्मित होने/हड़ताल/तालाबंदी आदि की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में परीक्षा

विलम्ब से प्रारम्भ हो सकती है अथवा केन्द्र/समय में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा परीक्षा रद्द भी की जा सकती है । जिसके लिए सर्वाधिकार बैंक के पास सुरक्षित होगा ।

2 भर्ती से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय बंधनकारी एवं अंतिम होगा । कोई भी पत्राचार अथवा व्यक्तिगत पूछताछ के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

3 परीक्षा का आयोजन एक से अधिक सत्र में किये जाने पर एक सत्र के प्रश्न पत्र में दूसरे सत्र के प्रश्न पत्र से तुलना करने पर कुछ मानक अंतर हो सकता है किन्तु प्रश्न पत्र में प्रश्नों का कठिनाई स्तर प्रत्येक सत्र के समानुपाती होगा । उम्मीदवार की यह आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी कि विभिन्न सत्र में प्रश्न पत्र का स्तर सरल अथवा भिन्न है ।

4 ऐसे उम्मीदवार जिनका अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रश्नों के उत्तर विश्लेषण करने, साझा करनें का अनुमान लगाया जाता है इस पर प्रतिक्रिया साझा कर निष्कर्ष निकाला जाता है तथा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाती है, बैंक द्वारा ऐसे उम्मीदवारों के परीणामों पर रोक लगाई जाकर साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है ।

5 किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी या प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान बैंक प्रबंधन को ज्ञात नहीं हो पाता है, किन्तु बाद में यह संज्ञान में आता है कि उम्मीदवार का चयन त्रुटिवश हुआ है, तो बैंक प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि चयनित उम्मीदवार का चयन रद्द कर अगले उम्मीदवार का चयन करे ।

6 भर्ती से संबंधित विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जगदलपुर होगा ।

(IX) अनुचित साधनों के उपयोग एवं दुर्व्यवहार, कदाचार में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही :–

आवेदक/उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि ऑन लाईन आवेदन में वांछित योग्यता एवं विवरणी कपटपूर्वक प्रस्तुत न करें यदि परीक्षा, साक्षात्कार या चयन प्रक्रिया के समय निम्नाकिंत कारणों से दोषी पाया जाता है तो स्थायी रूप से बैंक की परीक्षा से वंचित किया जायेगा अथवा उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी :–

1 अनुचित साधनों का उपयोग करना ।

2 स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना ।

3 परीक्षा/साक्षात्कार में दुर्व्यवहार, परीक्षा संबंधी जानकारी अन्य को बताने, प्रकाशन, फोटो खींचना, अन्य दूसरे स्थान पर प्रसारित करना, परीक्षा सामाग्री अन्यत्र सुरक्षित करना, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक सामाग्री का उपयोग करना आदि शामिल है ।

4 उम्मीदवारी के संबंध में समर्थन प्राप्त करना अथवा सिफारिश करवाना, राजनैतिक दबाव डलवाना ।

5 परीक्षा में मोबाईल फोन, इलेक्ट्रानिक उपकरण, नकल, पुस्तक आदि का उपयोग किये जाने पर प्रकरण पुलिस को दिया जा सकता है ।

ऑन लाईन परीक्षा हेतु संरचना

शाखा प्रबंधक :–

क्रमांक S.No.	परीक्षण का नाम (वैकल्पिक) Name of the Tests	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि Total Time
1	तार्किक योग्यता (Reasoning)	50	50	सभी परीक्षण हेतु दो घण्टा अथवा 120 मिनट
2	सामान्य जागरूकता (बैंकिंग उद्योग के विशेष संदर्भ में) **General Awareness** (with special reference to Banking Industry)	40	40	
3	अंग्रेजी भाषा ज्ञान (English Language)	40	40	
4	कम्प्यूटर ज्ञान (Computer Knowledge)	20	20	
5	संख्यात्मक योग्यता (Quantitative Aptitude)	50	50	
	योग (Total) :–	200	200	

कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक :–

क्रमांक S.No.	परीक्षण का नाम (वैकल्पिक) Name of the Tests	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि Total Time
1	अंग्रेजी भाषा ज्ञान (English Language)	30	30	सभी परीक्षण हेतु एक घण्टा अथवा 60 मिनट
2	तार्किक योग्यता (Reasoning)	35	35	
3	गणितीय योग्यता (Numerical Ability)	35	35	
	योग (Total) :–	100	100	

गलत उत्तर के लिए दण्ड (PENALTY FOR WRONG ANSWERS)

प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पाँच विकल्प होंगे तथा गलत उत्तर दिये जाने पर 0.25 अथवा 1/4 अंक की कटौति की जायेगी । यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की कटौति नहीं की जायेगी ।

नोट : प्रत्येक पद के प्राप्तांक को 70 प्रतिशत के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा, 20 अंक व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु तथा 10 अंक निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर दिया जाकर अंतिम सूची तैयार की जायेगी ।

(1) शाखा प्रबंधक पद हेतु सहकारिता में डिप्लोमा/वाणिज्य (एम.कॉम)/व्यवसाय प्रबंधन (एम.बी.ए.)/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधिकर्त्ताओं को ।

(2) बस्तर संभाग अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं में कार्यरत् सहायक समिति प्रबंधक/लिपिक/लिपिकीय सहायक/लेखापाल को ।

(3) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर अंतर्गत कार्यरत कंटीजेन्ट/अस्थायी कर्मचारियों को ।

साक्षात्कार :–

1 ऑन लाईन परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार बैंक द्वारा लिया जायेगा जिसकी सूचना बैंक द्वारा उम्मीदवारों को दी जायेगी जिसमें साक्षात्कार का केन्द्र जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, प्रधान कार्यालय जगदलपुर जिला बस्तर (छ॰ग॰) होगा ।

2 साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पंजीकृत डाक से दी जायेगी । इसके अतिरिक्त सूची बैंक के वेबसाईट **www.dccbjagdalpur.com** पर प्रदर्शित की जायेगी ।

3 यदि किसी कारण साक्षात्कार तिथि एवं समय में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना चयनित उम्मीदवारों को पंजीकृत ई–मेल आई॰डी॰, एस॰एम॰एस॰ तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी अथवा बैंक की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।

4 साक्षात्कार पश्चात चयनित उम्मीदवारों को बैंक के कार्यक्षेत्र बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोण्डागाँव, एवं सुकमा जिलों के शाखाओं में पदस्थ किया जायेगा ।

5 साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किये जाने वाले निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करने के पश्चात ही साक्षात्कार के योग्य माना जाएगा ।

(1) बैंक द्वारा प्रेषित काल लेटर ।
(2) ऑन लाईन परीक्षा में प्रस्तुत ऑन लाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति ।
(3) जन्मतिथि के प्रमाण हेतु दस्तावेज जैसेः– जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल (10+2) प्रमाण पत्र जिससे जन्म तिथि प्रमाणित होती हो ।
(4) नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ, पहचान पत्र सहित ।
(5) बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र / अंकसूची ।
(6) अनुभव प्रमाण पत्र । यदि कोई हो ।
(7) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ।
(8) उम्मीदवार यदि किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा / निगम / मण्डल / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / स्वशासी संस्था में कार्यरत है तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
(9) अन्य ऐसे प्रमाण पत्र / दस्तावेज जिन्हें साक्षात्कार में प्रस्तुत किया जा सकता हो ।

सहीं / –
मुख्य कार्यपालन अधिकारी